न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – मनोज कुमार, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 14/2021

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा
अधिकारी कार्यालय मुख्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
कम अभिहित अधिकारी, नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण

1महीपाल खुडखुडिया पुत्र भीखाराम जाति जाट
निवासी मु.पो. शीलगांव तहसील मुण्डवा जिला नागौर।
फर्म–मैसर्स आजाद मसाला उद्योग, 35 दातागनगर आकाशवाणी के पीछे, नागौर।
2सुखदेवराम खुडखुडिया पुत्र भीखाराम जाति जाट
निवासी मु.पो. शीलगांव तहसील मुण्डवा जिला नागौर।
फर्म–मैसर्स आजाद मसाला उद्योग, 35 दातागनगर आकाशवाणी के पीछे, नागौर।
3फर्म–मैसर्स आजाद मसाला उद्योग, 35 दातागनगर आकाशवाणी के पीछे, नागौर।

आदेश दिनांक :25.03.2021

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 10-11-2020 को मैसर्स आजाद मसाला उद्योग, 35 दातानगर आकाशवाणी के पीछे, नागौर पर खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (आजाद ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1424 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस 581/एक्ट/2020/271 दिनांक 13.11.2020 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना धनिया पाउडर (आजाद ब्राण्ड) मिस ब्राण्डेड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण महीपाल खुडखुडिया पुत्र भीखाराम जाति जाट निवासी मु.पो. शीलगांव तहसील मुण्डवा जिला नागौर, सुखदेवराम खुडखुडिया पुत्र भीखाराम जाति जाट निवासी मु.पो. शीलगांव तहसील मुण्डवा जिला नागौर तथा फर्म मैसर्स आजाद मसाला उद्योग, 35 दातानगर आकाशवाणी के पीछे, नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए.2006 की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 29-01-2021 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब दिनांक 25.03.2021 को पेश किया गया। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में बताया कि मैसर्स आजाद मसाला उद्योग (दातानगर नागौर) जो धनिया मे मिसब्रांड पाया गया। जिसका मुकदमा सं. 14/21 है। आगे से ऐसी गलती नही होगी। अतः कम से कम जुर्माना लगाने की कृपा करे। आपकी अति कृपा होगी।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस 581/एक्ट/2020/271 दिनांक 13.11.2020 के अनुसार खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (आजाद ब्राण्ड) का नमूना मिस ब्राण्डेड पाया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा भी अपने जवाब में अपना जुर्म स्वीकार स्वीकार किया है। अतः अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी सं. 1 महीपाल खुडखुडिया पुत्र भीखाराम जाति जाट निवासी मु.पो. शीलगांव तहसील मुण्डवा जिला नागौर, अप्रार्थी सं. 2 सुखदेवराम खुडखुडिया पुत्र भीखाराम जाति जाट निवासी मु.पो. शीलगांव तहसील मुण्डवा जिला नागौर तथा अप्रार्थी सं. 3 फर्म मैसर्स आजाद मसाला उद्योग, 35 दातानगर आकाशवाणी के पीछे, नागौर पर संयुक्त रूप से रूपये 20,000/– अक्षरे बीस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)